

कार्यालय नगर परिषद, सासाराम


पत्रांक 4207 / न०प०

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी /
प्रशासन एस०एस०-1 स्थानीय निकाय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।



31/12/18

सासाराम, दिनांक 28.12.2018

विषय:- आंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 444 / 2008-09 के कंडिका 22 एवं 23 के संबंध में।
प्रसंग:- भवदीय पत्रांक LA/SS-II/ULB/14516/1216 दिनांक 30.10.2017 एवं LA/SS-II/ULB/14516/1043 दिनांक 28.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 444 / 2008-09 के कंडिका 22 एवं 23 से संबंधित वांछित प्रतिवेदन निम्नांकित हैं :-

(1) सभी कर्मचारियों का वरीयता सूची तैयार किया गया है इसकी समीक्षा कर शीघ्र प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रोन्नति में कार्यालय द्वारा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के पार्ट 2 नियम 5S0 956 दिनांक 22.06.1977 के 2(III) के आलोक में प्रोन्नति कर्मचारियों को दी गई है।

उपरोक्त नियम के अनुसार कर्मचारियों के प्रोन्नति नगर परिषद बोर्ड की बैठक "कमिशनर्स एवं एट ए मितिंग" में किया जाना है। उसके आलोक में नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के प्रोन्नति का प्रस्ताव नगर परिषद बोर्ड के समक्ष दिनांक 10.11.2005 के विषय संख्या 11 में रखा गया था तथा नगर परिषद बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रोन्नति समिति का गठन करते हुए प्रोन्नति पर निर्णय लेने के लिये अपनी शक्ति प्रत्यारोपित की गई थी। तथा प्रोन्नति समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में कर्मचारियों को प्रोन्नति की गई थी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका सं० CWJC 4496/12 नवल किशोर शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 08.06.2012 को पारित न्यायादेश के कंडिका 6 में नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित प्रोन्नति समिति को वैधानिक बताया गया है। (न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न है।)

इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्मचारियों को प्रोन्नति बिहार एवं नगरपालिका अधिनियम 1922 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

31 DEC 2018

13622

- (2) श्री विद्यासागर प्रसाद श्रीवास्तव के प्रोन्नति संबंधी स्वच्छता निरीक्षण के प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में सरकार के नगर विकास विभाग बिहार पटना से इस कार्यालय के पत्रांक 1258 दिनांक 01.06.2017 के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः इस संबंध में विभाग को पत्र भेजा जा रहा है।
- (3) टंकक के नियुक्ति संबंधी 30 वर्षों के अधिक पुरानी संचिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्रांक 1347 न0वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 15.03.2085 उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
- (4) अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 444/2008-09 के कंडिका 23 के अंतर्गत उल्लेखित कर्मियों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है।

अनुलग्नक- यथोपरि।

विश्वसभाजन

६० -

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद सासाराम।

ज्ञापांक - 4207 दिनांक - 05.12.18
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ
समर्पित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद सासाराम।

कार्यालय नगर परिषद, सासाराम

पत्राक५१०७/न०५०

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी /
प्रशासन एस०एस०-१ स्थानीय निकाय
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
सामाजिक प्रक्षेत्र-१ स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

सासाराम, दिनांक ५-११-२०१८/२०१८

विषय:-

आंकेक्षण प्रतिवेदन सं० ४४४/२००८-०९ के कंडिका २२ एवं २३ के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक LA/SS-I/ULB/14516/1216 दिनांक ३०.१०.२०१७ एवं LA/SS-I/ULB/14516/1043 दिनांक २८.११.२०१७

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आंकेक्षण प्रतिवेदन सं० ४४४/२००८-०९ के कंडिका २२ एवं २३ से संबंधित वांछित प्रतिवेदन निम्नांकित हैं :-

(१)

सभी कर्मचारियों का वरीयता सूची तैयार किया गया है इसकी समीक्षा कर शीघ्र प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रोन्नति में कार्यालय द्वारा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम १९२२ के पार्ट २ नियम ५५० ९५६ दिनांक २२.०६.१९७७ के २(III) के आलोक में प्रोन्नति कर्मचारियों को दी गई है।

उपरोक्त नियम के अनुसार कर्मचारियों के प्रोन्नति नगर परिषद बोर्ड की बैठक "कमिशनर्स एवं एट ए मिटिंग" में किया जाना है। उसके आलोक में नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के प्रोन्नति का प्रस्ताव नगर परिषद बोर्ड के समक्ष दिनांक १०.११.२००५ के विषय संख्या ११ में रखा गया था तथा नगर परिषद बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रोन्नति समिति का गठन करते हुए प्रोन्नति पर निर्णय लेने के लिये अपनी शक्ति प्रत्यारोपित की गई थी। तथा प्रोन्नति समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में कर्मचारियों को प्रोन्नति की गई थी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका सं० CWJC ४४९६/१२ नवल किशोर शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक ०८.०६.२०१२ को पारित न्यायादेश के कंडिका ६ में नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित प्रोन्नति समिति को वैधानिक बताया गया है। (न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न है।)

इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्मचारियों को प्रोन्नति बिहार एवं नगरपालिका अधिनियम १९२२ के प्रावधानों के तहत किया गया है।

- (2) श्री विद्यासागर प्रसाद श्रीवास्तव के प्रोन्नति संबंधी स्वच्छता निरीक्षण के प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में सरकार के नगर विकास विभाग बिहार पटना से इस कार्यालय के पत्रांक 1258 दिनांक 01.06.2017 के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः इस संबंध में विभाग को पत्र भेजा जा रहा है।
- (3) टंकक के नियुक्ति संबंधी 30 वर्षों के अधिक पुरानी संचिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्रांक 1347 न0वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 15.03.2085 उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
- (4) अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 444/2008-09 के कंडिका 23 के अंतर्गत उल्लेखित कर्मियों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है।

विश्वसभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद सासाराम।

05/12/18

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.4496 of 2012

Naval Kishore Sharma Son Of Late Ramjee Sharma Resident Of Village-
Barkibhusi, Post Office-Daha Bigha, Police Station-Hilsa, District-Nalanda

..... Petitioner

Versus

1. The State Of Bihar
2. The Secretary, Urban Development Department, Government Of Bihar, Patna
3. The Nagar Parishad, Sasaram Through Chief Councillor
4. The Chief Councillor, Nagar Parishad, Sasaram
5. The Executive Engineer, Nagar Parishad, Sasaram
6. The Accountant General, Bihar, Patna

..... Respondents

For the Petitioner

Mr. Diwakar Prasad Sinha, Advocate

For the State

Mr. Harendra Pd. Singh, C.A. 2
and Satya Pal Narottam, A.C. to G.A.8

For Respondent no: 5

Mr. R. C. Sinha, Advocate

For Respondent no: 6

Mr. R. K. Choubey, S.C. IA & AD

P R E S E N T : HONOURABLE MR. JUSTICE S.N. HUSSAIN

O R D E R

6 08-08-2012

Heard learned counsel for the petitioner, learned counsel

for respondent-State of Bihar and its authorities as well as learned

counsel for Sasaram Nagar Parishad and its authorities and also

heard learned counsel for the Accountant General, Bihar, Patna.

2 This writ petition has been filed by the petitioner for

directing the respondents to revise his pension, D.C.R. Gratuit.

and leave encashment, which have been fixed on Basic Pay Scale

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद, सासाराम

DEPARTMENT OF POST

SHAR CHRGD for

COURT REFERENCE

STAMP DUTY

JUDICIAL

372493

118 9720876

(99)
1268

instead of promotional pay scale owing to audit report no. 444/08-
09 (serial no. 22). through which, the promotion given to the
petitioner by the competent committee has been objected and said
to be irregular and recovery of excess payment due to promotion
has been suggested by the Accountant General, Bihar, Patna
(respondent no.6), which is quite illegal, unjustified, beyond
jurisdiction and has no legal legs to stand, because as per the
Government decision all the benefits, which are admissible to the
employees of the Government of Bihar, are also admissible to the
employees of Sasaram Nagar Parishad. It is also claimed that as
per the Finance Department's letter no. 10770 dated 10.12.1981,
at least two promotions are admissible to the Government
employees; first on completion of ten years and second on
completion of 25 years. Thus, the competent committee had
rightly given two promotions to the petitioner on completion of
25 years unblemished and satisfactory service.

3, Learned counsel for the petitioner also states that it is
a settled principle of law that any recovery cannot be made from
the person concerned after his retirement if he has not done any
fraud or misrepresentation and, therefore, the impugned audit
objection is illegal and fit to be quashed

4 A counter affidavit has been filed on behalf

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद, सासाराम

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद, सासाराम

[27]

Sasaram Nagar Parishad (respondent no. 5) contesting the claim of the petitioner that a Committee is constituted in Sasaram Nagar Parishad for promotion etc. It was also stated that the claim of the petitioner that he has completed 36 years of service is a matter of fact available on record and the promotion is based on the principles of the State Government and hence this writ petition is fit to be dismissed.

5. From the facts and circumstances of the case as well as on the basis of materials on record, it is quite apparent that it is not in dispute that the petitioner was initially appointed on the post of L.D.C. in the year 1970 and had retired on 30.06.2009 after serving Sasaram Nagar Parishad for 39 years with unblemished and satisfactory service record. The Government has already declared its policy to give two promotions to its employees; first on completion of ten years and second on completion of 25 years and the said policy is also notified, which is applicable to Sasaram Nagar Parishad.

कार्यपालक पदाधिकारी
सासाराम नगर परिषद, सासाराम
08/11/14

6. In the said circumstances, the audit objection does not appear to be tenable, specially when the said promotion had been given by the duly constituted Committee for promotion and as such the entire procedure adopted by the authorities concerned appears to be against the specific provisions of law as mentioned

कार्यपालक पदाधिकारी
सासाराम नगर परिषद, सासाराम

(34) (9)

above. Furthermore, it transpires that the Executive Engineer of Sasaram Nagar Parishad had issued notice dated 25.06.2009 to the petitioner for explaining as to how double promotions could be allowed to the petitioner and in response to it the petitioner filed his reply on 03.08.2009, but thereafter the authorities of Sasaram Nagar Parishad did not take any step although about three years have lapsed. Even the counter affidavit filed by Sasaram Nagar Parishad does not disclose about the outcome of the said notice.

7. In the said circumstances, it is quite apparent that according to the policy of the Government and the specific notification, which were applicable to Sasaram Nagar Parishad also, the petitioner was fully entitled to two promotions; first on completion of ten years and second on completion of 25 years and if such promotions were not given to him at the proper time, it was the duty of the authorities concerned to give those promotions subsequently and hence two promotions given to the petitioner are hereby held to be legal and justified.

8. Accordingly, this writ petition is disposed of with a direction to the concerned authorities to revise the pension/D.C.R. gratuity and leave encashment of the petitioner on the promotional pay scale and any audit objection made in that regard, being illegal and unjustified, is to be discarded and ignored.

कार्यपालक पदाधिकारी

ससारम नगर पंचायत, ससारम

कार्यपालक पदाधिकारी

ससारम नगर पंचायत, ससारम

08/12/08

25

8. Since the petitioner is a retired employee, the said calculation and payments must be made by the authorities of the Sasaram Nagar Parishad within four months from the date of receipt/production of a copy of this order.

MPS/-

sdt
(S.N. Hussain, J)

NOTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY

13/8/12
For Joint Registrar (J)
Patna High Court
Registered No. 1871 Number 1878

Rakesh Kumar

13/8/2012

22/8/19/30

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

Handwritten signature and date 08/11/12

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

Handwritten signature and date 30 9-14

COPY

WRIT

196

Requisition Number : CWJC/31061/2012

Date Of Requisition	Stamp Notification Date	Stamp Deposit Date	Date of Copy Ready	Date of Copy Delivered
13-08-2012	13-08-2012	13-08-2012	13-08-2012	14-08-2012


Memo Of Case	
Application Fee for Copy	Rs.0.33
Searching Fee	Rs.1.00
Extra Fee for Urgency	Rs.2.25 3-25
Folios Fee	Rs.4.95 7-15
Other Items If Any	Rs.0.00
Total	Rs.8.53 11-73
XAFDF2BAFX	

The Authentification Fee Payable Under the Court Fee Act .. Rs.2.90

R. Kumar
13-08-2012

Section Officer
Copying Department

Rakesh Kumar
13/8/2012



Rakesh Kumar
13/8/2012

अभिवादन पदाधिकारी
न्याय परिषद, हाथराह

30-4-14

195

Requisition Number: CWJC/32714/2012

Date Of Requisition	Stamp Notification Date	Stamp Deposit Date	Date of Copy Ready	Date of Copy Delivered
27-08-2012	27-08-2012	27-08-2012	27-08-2012	27-08-2012


Memo Of Case	
Application Fee for Copy	Rs.0.33
Searching Fee	Rs.1.00
Extra Fee for Urgency	Rs.1.00
Folios Fee	Rs.1.10
Other Items If Any	Rs.0.00
Total	Rs.3.43
XAFDF2BAFX	

The Authentication Fee Payable Under the Court Fee Act .. Rs.2.90

Section Officer Copying Department

Rakesh Kumar
TY
27/8/2012

Rakesh Kumar
TY
27/8/2012



कार्यपालक अधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

Handwritten signature and date: 05/12/12

(37)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.4496 of 2012

Nawal Kishore Sharma

..... Petitioner/s

Versus

The State Of Bihar & Ors

Respondent/s

7 23-08-2012

Learned counsel for the petitioner submits that respondent no.5 is the Executive Officer, but at page 1 of order dated 08.08.2012, respondent no.5 is shown to be the Executive Engineer. He submits that similarly in the 6th line of paragraph 6 'Executive Engineer' has been typed although it should have been 'Executive Officer'.

Learned counsel for the petitioner appears to be correct. Hence let the said order dated 08.08.2012 be modified accordingly.

Sd/-

(S.N. Hussain, J)

Sunil/-

नामवाचक कक्षाधिकारी

अवर परिषद, साधारा

27/8/12

ATTENDED TO BE TRUE PHOTO 2012

For Joint Registrar (J)
Patna High Court

Registered 15/12/11 of 1973

Rakesh Kumar

Ty

27/8/2012

27/8/12

COPY

BHAR CIRCLE
COURT FEE
00000
JUDICIAL

9419927

3

कार्यालय नगर परिषद सासाराम

पत्रांक 1253 न०पो

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

सासाराम दिनांक 01.06.2017

विषय : प्रमाण-पत्र की वैधता जांच के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 444/2008-09 के कंडिका 22 एवं 23 पत्रांक द्वारा दिनांक 20.01.2016 एवं एस.ए./एस.एस. 01/आर. के 4 दिनांक 31.05.17 के सम्बंध में श्री विद्यासागर प्रसाद श्रीवास्तव की प्रोन्नति 1982 में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर सेनेटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा प्रमाण पत्र के आधार पर की गयी थी। परन्तु इसकी मान्यता बिहार सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण आपत्ति उठाई गयी थी। जिसके सम्बंध में श्री श्रीवास्तव के द्वारा सेनेटरी इन्स्पेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट (देली विश्व विद्यापीठ) 233, टैगोर पार्क, मॉडल टाउन, देली - 110009 से अक्टूबर 1978 के सम्बंध में प्रमाण पत्र समर्पित किए थे। जिसकी वैधता की जांच आवश्यक है। प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को भेजा जाना है।

अतः अनुरोध है कि श्री श्रीवास्तव के सेनेटरी इन्स्पेक्टर प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त सस्था एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बंध में जानकारी भेजने की कृपा की जाय। जिससे कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पटना को वस्तु स्थिति की जानकारी करायी जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

कार्यालय नगर परिषद, सासाराम
सेवा निवृत्त कार्यालय कर्मियों का पंचम वेतन के अंतर राशि

क्रम संख्या	नाम	खाता संख्या	देय राशि	आकेंक्षण प्रतिवेदन 444/08-09 के द्वारा सामंजन	शुद्ध देय राशि	अभियुक्ति
1	श्री रामदत्त सिंह (अनुसेवक)	30200204822	32985		32985	
2	श्री फकरुद्दीन खॉ	30175685898	72243		72243	
3	श्री कृष्णा नन्द प्रसाद	30196129721	146375		146375	
4	श्री सुरेश दुबे	30137744271	157191		157191	
5	श्री सरदार पन्ना लाल सिंह	30173634684	146490		146490	
6	श्री जगनारायण राम (अनुसेवक)	30134254008	142388		142388	
7	श्री दिनेश पाण्डेय	11134023377	191025		191025	
8	श्री राजगृह राम	11134023184	241610		241610	
9	देवकुमार तिवारी	11134022986	375031		375031	
10	श्री रामेश्वर प्रसाद	11133945021	325478		325478	
11	श्री रामपूजन पाण्डेय	11134023388	372663		372663	
12	श्री रामसिंहासन पाठक	11134023195	251420		251420	
13	श्री राम प्रसाद (अनुसेवक)	11134022487	243439		243439	
14	श्री नवल किशोर शर्मा	11134011827	363467		363467	
15	श्री देवचरण सिंह	11134023151	240658	28926	211732	
16	श्री विद्यासागर प्रसाद श्रीवास्तव	11134023026	392575		392575	
17	श्री दशरथ राम	11134023333	331978		331978	
18	श्री गुलाबचन्दर राम (रोड़ कुली)	11134022454	211063		211063	
19	श्री ओ० जे० जैन	10175299266	3466		3466	
20	श्री राजनरायण पाण्डेय	11134023311	371194	5117	366077	
21	श्री जदु सिंह (अनुसेवक)	11134022523	223979		223979	
22	श्रीमति सुमित्रा देवी (अनुसेवक)	11134022556	247549		247549	
23	श्री मुखराज सिंह (अनुसेवक)	11134022975	245448		245448	
24	श्री रविन्द्र पाण्डेय (कर)	11134023322	256681	79726	176955	आकेंक्षण प्रतिवेदन के साथ दिये गये अधिक सेवान्त लाभ की कटौती की गई है।
25	श्री शिवप्रसाद लाल	11134023297	361480		361480	
26	श्री राधा प्रसाद (अनुसेवक)	11134022873	247408	42432	204976	उपादान एवं अर्जित अवकाश अधिक भुगतान की कटौती की गई है।
	कुल योग		6195284.00	156201	6039083.00	

मात्र साठ लाख उनचाली हजार तिरासी रूपया

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम
25/12/20

Executive Officere
Nagar Parishad, Sasaram
31/12/20